

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक :- एफ4 / वित्त / नियम / 172 / 2018 / 646

दिनांक:- 15.2.18

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ4/वित्त/नियम/172/2017/6865 दिनांक 18.12.2017 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कर्मचारियों के दिनांक 01.07.2013 से संशोधित किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बनने वाली अन्तर राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ4/वित्त/नियम/172/2017/6866 दिनांक 18.12.2017 में वर्णित निर्देशों के अनुसार अन्तर राशि की तत्काल वसूली न की जाकर व्यक्तिगत वेतन (PP) मानते हुए सकल वेतन में सम्मिलित कर वेतन भुगतान किया जावे तथा व्यक्तिगत वेतन का समायोजन कर्मचारी के भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि से किया जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।



(गोपाल विजय)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ4 / वित्त / नियम / 172 / 2018 / 646

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
- ✓ 5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. कार्यकारी प्रबन्धक (बजट)/सुरक्षा अधिकारी, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।



(राज कुमार)
महा प्रबन्धक (वित्त)